भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3022*
13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

"एबी-पीएमजेवाई में आयुष पैकेज का विलय"

3022.**श्री सुधीर गुप्ता:**
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में आयुष पैकेज के विलय के पश्चात् लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का उद्देश्य भारत की जनसंख्या के निचले 40% हिस्से से संबंधित 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में 27 विशेषज्ञताओं के अंतर्गत 1,961 पैकेज शामिल किए गए हैं, जो पीएम-जेएवाई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी पूर्ववर्ती स्थितियों को पहले दिन से ही कवर किया जाता है और इन सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली निर्धारित प्रक्रियाओं की सूची शामिल होती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेजों में नए पैकेजों को, विभिन्न विशेषज्ञताओं के लिए स्थापित चिकित्सा विशेषज्ञ समितियों द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें प्रमुख संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

यह समिति नए पैकेज को शामिल करने की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है, जिसमें नैदानिक प्रासंगिकता, लागत-प्रभावशीलता, और प्रस्तावित पैकेजों के रोगी देखभाल और स्वास्थ्य परिणामों पर समग्र प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यह समिति उपचार के मानक दिशानिर्देशों और आवश्यक दस्तावेज़ों को भी अंतिम रूप देती है, जो स्वास्थ्य

देखभाल सेवा प्रदाताओं को मार्गदर्शन देने और दावा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इस समिति की सिफारिशों की समीक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के स्वास्थ्य नीति और गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग द्वारा की जाती है और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, पैकेजों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज में शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ अंतिम रूप दिया जाता है।

आयुष पैकेजों को अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****